

**न्यायालय:-श्रीष कौलाश शुक्ल, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बैहर
जिला बालाघाट म.प्र.**

व्य0वादप्रक0 क0-06ए/2016

संस्थित दिनांक 19.03.2014

फाईलिंग क्रमांक-234503003042014

उदेलाल पिता बारेलाल नेवारे उम्र-63 वर्ष, जाति गोवारा,
व्यवसाय सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी,
निवासी ग्राम कुमनगांव(बीजाटोला) तहसील परसवाड़ा
जिला बालाघाट म0प्र0।

.....वादी

विरुद्ध

रोशनलाल उम्र-46 वर्ष पिता हीरालाल जाति कलार,
निवासी ग्राम कुमनगांव(बीजाटोला) तहसील परसवाड़ा
जिला बालाघाट म0प्र0।

.....प्रतिवादी

—:: निर्णय ::—

—:: दिनांक **28.06.2016** को घोषित ::—

1— यह दावा वादग्रस्त संपत्ति मौजा कुमनगांव प0ह0नं0-06, खसरा नंबर-134, रकबा 10 डिसमिल भूमि पर स्थित मकान के कब्जा प्राप्ति एवं बकाया किराया राशि 8,700/- रुपये के भुगतान के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया है।

2— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य है कि वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु वाद प्रस्तुत किया था। यह भी स्वीकृत है कि वादी ने दिनांक-09.01.2014 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से सूचना प्रतिवादी को प्रेषित की थी।

3— वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी वादग्रस्त मकान मौजा कुमनगांव प0ह0नं0-06 ख.नं. 134 रकबा 0.10 डिसमिल स्थित भूमि पर निर्मित का स्वामी है। प्रतिवादी का पिता एवं प्रतिवादी विवादित मकान में वादी के किरायेदार की हैसियत से आधिपत्यधारी है। प्रतिवादी के पिता एवं प्रतिवादी ने उपरोक्त मकान को 300/-रुपये प्रतिमाह किराये पर वादी से लिया था और यह किरायेदारी माहवार थी। प्रत्येक माह के अगले माह की पहली तारीख तक की यह किराएदारी थी। प्रतिवादी के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में लगातार किराये का भुगतान किया गया और प्रतिवादी के पिता की मृत्यु के पश्चात

सितंबर, 2011 तक प्रतिवादी ने किराये का भुगतान किया परन्तु उसके पश्चात से प्रतिवादी द्वारा किराये का भुगतान नहीं किया गया एवं मकान में तोड़फोड़ कर नये निर्माण की तैयारी की गई। उपरोक्त कार्यवाही के विरुद्ध वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध दिनांक-06.03.2013 को एक व्यवहार वाद प्रस्तुत किया एवं इस प्रकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील प्रथम अपर जिला न्यायाधीश महोदय के समक्ष प्रस्तुत की गई। माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 17.12.2013 को आदेश पारित कर प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा के माध्यम से विवादित मकान में तोड़फोड़ करने से रोका गया।

4- वादी ने दिनांक 09.01.2014 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिवादी की किरायेदारी समाप्त करने हेतु पंजीकृत डाक से सूचना पत्र प्रेषित किया। प्रतिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपरोक्त सूचना पत्र का जवाब भी प्रस्तुत किया गया। वादी ने दिनांक 28.02.2014 के पश्चात से प्रतिवादी की किरायेदारी समाप्त कर दी है, इसलिये वह उपरोक्त दिनांक के पश्चात से प्रतिदिन 30/- रुपये की दर से क्षतिपूर्ति राशि भी वादी को प्रतिवादी से प्राप्त करना है। अक्टूबर 2011 से फरवरी 2014 तक 300/- रुपये माहवार की राशि रुपये 8,700/- प्रतिवादी से दिलाई जावे एवं विवादित भवन का रिक्त आधिपत्य भी वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावे।

5- स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त शेष अभिवचनों का प्रत्याख्यान कर अपने जवाबदावे में प्रतिवादी ने कहा है कि उसका पिता अनपढ़ एवं गरीब मजदूर था और वह वादी के पास मजदूरी का कार्य करता था। वादी चालाक व्यक्ति है और प्रतिवादी के पिता को जब रुपयों की आवश्यकता हुई तो उन्होंने वादी से उधार राशि प्राप्त की थी। यह राशि वादी को भुगतान कर दी गई थी परन्तु फिर भी वादी ने प्रतिवादी के पिता से दिनांक 09.05.1980 को ख.क्र. 134 रकबा 0.10 डिसमिल का भूमि का विक्रय पत्र अपने नाम पर निष्पादित करवा लिया और विवादित मकान का कब्जा वर्ष 1981 में प्राप्त करने के विषय में भी लेख करवा लिया।

6- वर्ष 1981 में वादी, प्रतिवादी के पिता से मकान का कब्जा प्राप्त करने आया तो प्रतिवादी के पिता ने मकान की विक्रय से इंकार किया और कब्जा देने से इंकार किया। इसके पश्चात से लगातार शांतिपूर्वक प्रतिवादी एवं

उसके पिता का कब्जा विवादित भवन पर चला आ रहा है एवं प्रतिवादी विपरीत कब्जे के आधार पर विवादित भवन का स्वामी हो चुका है। प्रतिवादी एवं प्रतिवादी के पिता विवादित भवन पर वादी के किरायेदार की हैसियत से कभी नहीं रहते थे और न ही इस संबंध में कोई मौखिक एवं लिखित अनुबंध वादी के साथ प्रतिवादी के पिता एवं प्रतिवादी का हुआ था। वादी द्वारा प्रेषित नोटिस के जवाब में भी यह बात प्रतिवादी ने स्पष्ट की है।

7— वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध एक व्यवहार वाद 36ए/12 दिनांक 14.02.2012 द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, के समक्ष प्रस्तुत किया था एवं प्रतिवादी को मकान में क्षति पहुँचाने के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता चाही थी। न्यायालय द्वारा दिनांक 08.03.2013 को निर्णय पारित कर वादी का दावा निरस्त कर दिया था। प्रथम अपील क्रमांक 18ए/13 माननीय प्रथम अपर जिला न्यायाधीश महोदय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसमें माननीय न्यायालय ने प्रतिवादी को किरायेदार की हैसियत से विवादित भवन पर आधिपत्यधारी होना पाया था एवं वादी के पक्ष में निर्णय पारित किया था। इस निर्णय एवं जयपत्र के विरुद्ध प्रतिवादी ने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की है और वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील लंबित है। प्रतिवादी गरीब व्यक्ति है और यदि उसे विवादित मकान से बेदखल किया जाता है तो उसके रहने की समस्या उत्पन्न हो जावेगी। ऐसी स्थिति में वादी का दावा निरस्त किया जावे।

8— न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्नों की विरचना की गयी है, जिनके समक्ष मेरे निष्कर्ष निम्नानुसार है :-

क.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या वादी के मौजा कुमनगांव प.ह.नं.06 तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट स्थित वादपत्र के नजरी नक्शा में उल्लेखित मकान पर प्रतिवादी 300/-रुपये प्रतिमाह किराया की दर से किरायेदार की हैसियत से आधिपत्य में है ?	
2.	क्या वादी को प्रतिवादी ने अक्टूबर, 2011 से फरवरी 2014 तक बकाया किराया राशि 8,700/-रुपये अदा नहीं किया है ?	
3.	क्या उक्त किरायेदारी समाप्ति होने से वादी विवादित मकान का रिक्त आधिपत्य प्रतिवादी से प्राप्त करने का हकदार है ?	

4.	क्या वाद संस्थित दिनांक से कब्जा प्राप्ति दिनांक तक वादी 30/- रुपये प्रतिदिन की दर से प्रतिवादी से नुकसानी प्राप्त करने का हकदार है ?	
5.	सहायता एवं वाद व्यय ?	

विचारणीय प्रश्न क01 का निष्कर्ष:-

9— वादप्रश्न क्रमांक एक को सिद्ध करने का भार वादी पर है। वादी उदेलाल वा.सा.01 ने अपने शपथ पत्र में कहा है कि वह ग्राम कुमनगांव का स्थायी निवासी है। विवादित भवन उसके स्वामित्व का भवन है जिसमें प्रतिवादी 300/- रुपये प्रतिमाह की दर से किरायेदार की हैसियत से आधिपत्यधारी है। प्रतिवादी के पिता के जीवित होने के समय से यह किरायेदारी चली आ रही है। अक्टूबर, 2011 से प्रतिवादी द्वारा विवादित भवन के किराये का भुगतान नहीं किया गया है। वादी उदेलाल (वा.सा.01) के कथनों का समर्थन वादी साक्षी जमुनाप्रसाद (वा.सा.02) ने भी किया है और यह कहा है कि वादी के स्वत्व के मकान में प्रतिवादी रोशनलाल 300/- रुपये प्रतिमाह की दर से किरायेदार है। वादी के उपरोक्त कथनों का समर्थन वादी साक्षी सीताराम (वा.सा.03) ने भी अपने शपथपत्र में किया है। वादी उदेलाल (वा.सा.01) ने अपने पक्ष समर्थन में प्र.पी.01 का नोटिस अभिलेख पर प्रस्तुत किया है। नोटिस प्र.पी.01 वादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रेषित सूचनापत्र हैं जिसमें वादी के भवन में प्रतिवादी के किरायेदार होने का उल्लेख किया जाकर माह अक्टूबर 2011 से बकाया किराया राशि का भुगतान नहीं किये जाने का उल्लेख है। यह नोटिस प्रतिवादी को प्रेषित किया गया था एवं उसे प्राप्त हुआ था। इसे सिद्ध करने के लिये पोस्टल रसीद प्र.पी.02 एवं प्राप्ति अभिस्वीकृति प्र.पी.03 अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

10— प्रतिवादी ने उपरोक्त प्र.पी.01 के नोटिस का जवाब प्रेषित किया था और अपने जवाब में स्वयं को विवादित भवन पर किरायेदार न होना व्यक्त किया था। यह बात प्र.पी.04 के जवाब दिनांक 10.02.2014 से स्पष्ट हो रही है। वादी ने अपने पक्ष समर्थन में माननीय अपर जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.12.2013 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.05 प्रकरण में प्रस्तुत की है। उपरोक्त निर्णय प्र.पी.05 की

कंडिका 11 में माननीय अपर जिला न्यायाधीश महोदय ने विवेचना पश्चात यह निष्कर्ष दिया है कि प्रतिवादी रोशनलाल वादग्रस्त मकान में किरायेदार के अतिरिक्त अन्य किसी हैसियत से निवास कर रहा हो, यह सिद्ध करने में सफल नहीं हुआ है। इस प्रकार माननीय अपर जिला न्यायाधीश महोदय के निष्कर्ष द्वारा यह प्रमाणित है कि प्रतिवादी विवादित भवन में किरायेदार की हैसियत से ही निवासरत एवं आधिपत्यधारी है। वादी उदेलाल (वा.सा.01), जमुनाप्रसाद (वा.सा.02) एवं सीताराम (वा.सा.03) ने प्रतिवादी के विवादित भवन पर किराएदार होने के संबंध में अपने शपथपत्र में कहा है और उपरोक्त साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में अखण्डित रहे हैं।

11— जहाँ तक किराये की राशि 300/- रुपये के निर्धारण का प्रश्न है वादी उदेलाल (वा.सा.01) ने अपने शपथपत्र में किरायेदारी 300/-रुपये प्रतिमाह अंग्रेजी केलेण्डर के माध्यम से प्रत्येक माह की पहली तारीख प्रारंभ होने से आगामी माह की पहली तारीख तक होने का अभिवचन किया है। वादी साक्षी जमुनाप्रसाद (वा.सा.02) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि प्रतिवादी वादी के मकान में 300/- रुपये प्रतिमाह की दर से किरायेदार था। किराएदारी की बात उसके सामने ही हुई थी। साक्षी सीताराम (वा.सा.03) ने अपने शपथ पत्र में कहा है कि प्रतिवादी के पिता हीरालाल वादी के मकान का किराया राशि 300/- रुपये का भुगतान करता था और उसकी पदस्थापना परसवाड़ा में होने से प्रतिवादी का पिता हीरालाल उसे ही कई बार किराये का भुगतान करता था जो वह बाद में वादी को दे देता था। इस प्रकार वादी पक्ष द्वारा किराया राशि 300/- रुपये के विषय में अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत की गई है और वादी साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में इस बिंदु पर अखण्डित रहे हैं कि प्रतिवादी वादी के भवन में 300/- रुपये प्रतिमाह की दर से किरायेदार की हैसियत से निवासरत है। ऐसी स्थिति में वादप्रश्न क्रमांक 01 का निष्कर्ष "प्रमाणित" के रूप में दिया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक 02 की विवेचना एवं निष्कर्ष:-

12— वादी साक्षी उदेलाल (वा.सा.01) ने अपने अभिवचन में यह भी कहा है कि प्रतिवादी ने अक्टूबर, 2011 के पश्चात से उसे किराया राशि का भुगतान नहीं किया है। प्रतिवादी रोशनलाल अपने जवाबदावे में स्वयं को वादी के

किरायेदार के रूप में विवादित भवन में रहने से इंकार किया है एवं उसके द्वारा किराया राशि का भुगतान किया गया है, यह अभिलेख पर प्रकट नहीं किया गया है। प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे में विरोधी आधिपत्य के आधार पर विवादित मकान का स्वामी होने का अभिवचन किया है। वादप्रश्न क्रमांक 01 के निष्कर्ष में न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित पाया गया है कि प्रतिवादी वादग्रस्त भवन में वादी के किरायेदार की हैसियत से 300/- रुपये प्रतिमाह किराया राशि की दर से आधिपत्यधारी है एवं प्रतिवादी द्वारा कोई भी किराया राशि नहीं भुगतान किया जाना जवाबदावे से परिलक्षित हो रहा है, इसलिए वादप्रश्न क.02 का निष्कर्ष "प्रमाणित" में दिया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक 03 की विवेचना एवं निष्कर्ष :-

13— वादी साक्षी उदेलाल (वा.सा.01) का कहना है कि अक्टूबर 2011 से प्रतिवादी ने विवादित भवन के किराये का भुगतान नहीं किया है, इस संबंध में वादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्र.पी.01 का नोटिस प्रेषित किया था। प्र.पी.01 के नोटिस की कंडिका 03 में दिनांक 28.02.2014 के मध्य राशि से वादी ने प्रतिवादी की किरायेदारी समाप्त कर दी है, इस बात का उल्लेख है। यह नोटिस प्रतिवादी को दिनांक 11.01.2014 को प्राप्त हुआ था, यह बात प्र.पी.03 प्राप्ति अभिस्वीकृति से सिद्ध हो रहा है। इस नोटिस का जवाब दिनांक 10.02.2014 को प्रतिवादी ने वादी को प्रेषित किया था। जवाबदावे में भी प्रतिवादी ने स्वीकार किया है कि उसे वादी द्वारा उपरोक्त संबंध में नोटिस प्रेषित किया गया था, जिसका उसने जवाब वादी को दिया था।

14— संपत्ति अंतरण की धारा 106 के अनुसार किसी अचल संपत्ति की लीज यदि वह कृषि भूमि है अथवा उत्पादन से संबंधित है, तो साल दर साल के लिए होगी और यह 6 माह का समय का नोटिस देने से समाप्त की जा सकेगी, इसी प्रकार कृषि प्रयोजन से भिन्न किसी भी अचल संपत्ति की लीज माह दर माह की होती है और इसे नोटिस के माध्यम से 15 दिवस का समय देकर समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार किरायेदारी की समाप्ति के लिये वैधानिक नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस पश्चात् किराएदारी वैधानिक रूप से समाप्त हो जाती है। वादी द्वारा विवादित संपत्ति के संबंध में नोटिस प्र.पी.01

दिनांक 09.01.2014 को प्रेषित किया गया था जो दिनांक 11.01.2014 को प्रतिवादी को प्राप्त हो गया था। इस प्रकार दिनांक 11.01.2014 के 15 दिवस पश्चात प्रतिवादी की किरायेदारी विधि अनुसार समाप्त मानी जावेगी। उपरोक्त स्थिति में वादी विवादित मकान का रिक्त आधिपत्य प्रतिवादी से प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः वादप्रश्न क.03 का निष्कर्ष "प्रमाणित" में दिया जाता है।

वादप्रश्न क.04 की विवेचना तथा निष्कर्ष:-

15- वादी उदेलाल (वा.सा.01) ने अपने वादपत्र में यह अभिवचन किया है कि सूचना मिलने पर भी प्रतिवादी द्वारा बगैर किराये का भुगतान किये वादी के मकान में रहवास किया जा रहा है और मकान के अवैध उपयोग के कारण वादी प्रतिवादी से 30/- रुपये प्रतिदिन की दर से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादी के विवादित भवन पर किरायेदार की हैसियत से आधिपत्यधारी होने का अभिवचन वाद में किया है। विवादित भवन का उपयोग स्वयं वादी को किस प्रकार से करना था अथवा उसे किस प्रकार से आर्थिक क्षति हुई है इस बात को वादी उदेलाल (वा.सा.01) ने अपने शपथपत्र में स्पष्ट नहीं किया है और न ही अभिलेख पर इस संबंध में कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किया है। वादी पक्ष के अन्य साक्षियों ने भी क्षतिपूर्ति राशि के विषय में कोई भी कथन अपने शपथपत्र में नहीं किया है। इसलिये वादी 30/-रुपये प्रतिदिन की दर से वाद संस्थित दिनांक से कब्जा प्राप्ति दिनांक तक क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी होना प्रमाणित नहीं पाया जाता। अतः वादप्रश्न क.04 का निष्कर्ष "अप्रमाणित" के रूप में दिया जाता है।

सहायता एवं वादव्यय:-

16- उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी अपना वाद सिद्ध करने में सफल रहा है। अतः वादी का वाद वादग्रस्त संपत्ति मौजा कुमनगांव प0ह0नं0-06 खसरा नं.134 रकबा 0.10 डिसमिल स्थित भूमि एवं मकान के विषय में जयपत्रित किया जाता है एवं निम्न आज्ञाप्ति पारित की जाती है :-

1. वादी ने अक्टूबर 2011 से फरवरी 2014 तक की किराया राशि प्राप्ति का अनुतोष चाहा है इसलिये वादी को प्रतिवादी किराया राशि 8700/- रुपये का भुगतान करेगा।

2. प्रतिवादी विवादित भवन का रिक्त आधिपत्य अविलंब वादी को प्रदान करेगा।

3. प्रतिवादी वादी का वादव्यय वहन करेगा।

4. अधिवक्ता शुल्क सूचीनुसार अथवा प्रमाणित होने पर जो भी न्यून हो देय होगा।

तदनुसार डिक्री बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।
बैहर,
दिनांक-28.06.2016

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

श्रीष कैलाश शुक्ल
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैहर

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

GRPI-539-3-92
II-329/C.J.(E)

DECREE IN ORIGINAL SUIT

(Codi of Civil Procedure 1908, order xx, Rules 6 and 7)

Civil Suit No. 14A/12

Judgment Date 04-12-15

THE COURT OF आसिफ अब्दुल्लाह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग दो, जिला सतना मध्यप्रदेश।

Plantiff -

1. महेन्द्र सिंह पिता स्व0 दलप्रताप सिंह उम्र 40 वर्ष
2. सुरेन्द्र सिंह पिता स्व0 दलप्रताप सिंह उम्र 45 वर्ष
3. बेवा जयराजुबाई सिंह पत्नी स्व0 दलप्रताप सिंह 80 वर्ष
सभी निवासी ग्राम रामभवन (दांडी टोला) तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0

Defendant -

1. श्रीमती ज्ञानवती सिंह पत्नी स्व0 बुद्धिमान सिंह उम्र 57 वर्ष
2. लोकपाल सिंह पिता स्व0 बुद्धिमान सिंह उम्र 35 वर्ष
3. राजपाल सिंह पिता स्व बुद्धिमान सिंह उम्र 32 वर्ष **मृत**
- 3अ श्रीमती राखी सिंह पत्नी राजपाल सिंह उम्र 30 वर्ष
- 3ब कु0 स्नेहा सिंह नाबालिग पुत्री स्व0 राजपाल सिंह उम्र 4 वर्ष
- 3स प्रियूष सिंह नाबालिग पुत्र स्व0 राजपाल सिंह उम्र ढाई वर्ष
सभी निवासी ग्राम रामभवन जिला सतना म0प्र0
4. श्रीमती पूजा सिंह पुत्री स्व0 बुद्धिमान सिंह पत्नी श्री मनोज सिंह
5. श्रीमती आरती सिंह पुत्री स्व0 बुद्धिमान सिंह पत्नी बबलू सिंह
दोनों निवासी तखतखेड़ा पोस्ट तेजगांव जिला रायबरेली उ0प्र0
6. श्रीमती रेखा सिंह पुत्र स्व0 बुद्धिमान सिंह पत्नी अरविंद सिंह
निवासी पलिया पो0 बिसुणखेड़ा जिला रायबरेली उ0प्र0
7. तेजबली सिंह पिता स्व0 गुलाब सिंह उम्र 75 वर्ष
निवासी रामभवन तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0
8. राज्य म0प्र0 द्वारा श्रीमान् कलेक्टर महोदय, सतना जिला
सतना म0प्र0

Claim for -

This suit coing on this day for final disposal before me in the presence of (for the Plaintiff) — श्री

(for the Defendant) — श्री

It is ordered and decreed that

□□□□□□

वादग्रस्त भूमि में प्रत्येक वादीगण का 1/5-1/5

हिस्सा, प्रतिवादी क0 7 का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी क0 1 से 6 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा है, जिनके वे वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुलग्न 'अ' में लाल रंग से दर्शाये मुताबिक स्वत्वाधिकारी एवं आधिपत्यधारी हैं। वादीगण यह भी प्रमाणित करने में सफल रहे हैं कि वे अपने हिस्से तथा स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा वाद समयावधि में है। प्रतिवादी क0 7 जिसके द्वारा वादीगण के अभिवचनो को स्वीकार किया गया है, प्रस्तुत प्रतिदावा भी स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी क0 7 द्वारा प्रतिदावे में न्यायालय शुल्क अदा नहीं किया गया है। अतः उसे निर्देशित किया जाता है कि वह 720रु0 न्यायालय शुल्क अदा करेगा। प्रतिवादी क0 1 से 3 प्रतिदावा को साबित करने में

असफल रहे हैं। अतः प्रतिवादी क0 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा खारिज किया जाता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद तथा प्रतिवादी क0 7 द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा स्वीकार कर निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है:-

1. वादीगण में से प्रत्येक वादग्रस्त भूमि खसरा क0 337 रकवा 4.79ए0 स्थित मौजा रामभवन जैतवारा तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 के 1/5-1/5 हिस्से के, प्रतिवादी क0 1 से 6 संयुक्त रूप से 1/5 हिस्से के तथा प्रतिवादी क0 7 1/5 हिस्से का मुताबिक नजरी नक्शा अनुलग्न 'अ' स्वत्वाधिकारी आधिपत्यधारी घोषित किये जाते हैं।
2. वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है, जिस पर भू राजस्व निर्धारित है। अतः वादी गण मुताबिक नजरी नक्शा अनुलग्न 'अ' अपने उक्त हिस्से का बटवारा कलेक्टर या सक्षम राजस्व अधिकारी से करा सकेंगे।
3. प्रतिवादी क0 1 से 3 को वादीगण एवं प्रतिवादी क0 7 के उक्त 1/5-1/5 हिस्से में हस्तक्षेप किये जाने से स्थाई रूप से निषेधित किया जाता है।
4. राजस्व निरीक्षक वृत्त कोठी के पंजी क0 20 आदेश दिनांक 06.05.80 और उसके आधार पर की गई प्रविष्टियां शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित की जाती है।
5. प्रकरण की परिस्थितियों में वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।
6. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सारणी अनुसार जो भी न्यून हो अदा किया जावे।
7. वादपत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुलग्न 'अ' डिक्री का भाग होगा।

(आसिफ अब्दुल्लाह)

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश

वर्ग-दो

जिला सतना म.प्र.

-3-

And that the sum of Rs.00 be
paid by the plaintiff

Defendant

To the Defendant
Plaintiff

On account of costs of this suit, with interest there on at the
rate of percent per annum from this date of
realization.

Given under my hand the seal of the court this_day of
.....

(आसिफ अब्दुल्लाह)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश
वर्ग-दो
जिला सतना म.प्र.

COSTS OF SUIT

	PLAINTIFF	R S	DEFENDAN T	Rs
	Stamp of Plaint		Stamp of Plaint	
	Stamp of application & affidavit		Stamp of application	
	Stamp of Powers		Stamp of petitions (affidavit)	
	Stamp of exhibits		Pleaders	

				fee प्रमाणित नहीं		
	Pleaders fee on Rs. प्रमाणित नहीं			Subsistence for witness		
	Subsistence or witness			Service of process		
	Commissioners fee			Commissio ners		
	Service of precess					
	Total -			Total-		

(आसिफ अब्दुल्लाह)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश
वर्ग-दो
जिला सतना म.प्र.

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)